न्यूज डायरी

गीता का संदेश ले जापान पहुंचे कुरुक्षेत्र के श्रद्धालु

पिहोवा। जापान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में तीर्थनगरी पिहोवा से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेने पहुंचे हैं। महोत्सव के चौथे दिन निकाली गई भव्य शांति यात्रा में श्रद्धालुओं ने विश्व शांति, मानव कल्याण और भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार का संदेश दिया। स्वामी ज्ञानानंद के सान्निध्य में श्रद्धालुओं ने श्रीमद्भगवद् गीता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। समाजसेवी अजय कालड़ा ने कहा कि गीता महोत्सव भारत की आध्यात्मिक विरासत को विश्व मंच पर स्थापित करने का सशक्त माध्यम बन रहा है। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, संपूर्ण मानवता को जीवन जीने की कला सिखाने वाला मार्गदर्शक ग्रंथ है। संवाद

35 हजार की रिश्वत लेता एसआई पकड़ा

टोहाना (फतेहाबाद।) एंटी करप्शन ब्यूरो ने सदर थाने में कार्यरत एसआई महेंद्र को सोमवार को 35 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी इंचार्ज विजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी एसआई ने रोडवेज के कर्जी पास को लेकर पकड़े गए राहुल के मामले का निपटारा करने के लिए उसके घर जाकर 72 हजार रुपये की मांगकी थी।एसीबी इंचार्ज विजेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता राकेश के खिलाफ रोडवेज विभाग के जीएम ने गलत बस पास बनवाने को लेकर एसपी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। एसपी ने जांच सदर थाने के एसआई महेंद्र को सौंप दी। आरोप है कि एसआई शिकायतकर्ता के घर गया और धमकी दी था तो 72 हजार दो नहीं तो अंदर कर दूंगा। दबाव में आकर शिकायतकर्ता ने एसआई को 35 हजार देने की हामी भर दी। इसके बाद शिकायतकर्ता राकेश ने एसीबी से शिकायत की। एसीबी की टीम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जाल बिछाया। संवाद

सीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए निकली भर्ती

चंडीगढ़। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी-2025) ग्रुप सी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। जेल विभाग में महिला और पुरुष वर्ग के लिए सहायक अधीक्षक जेल व वार्डर के 1238 पदों के लिए 24 जून से आवेदन मांगे गए। आवेदन 30 जून की रात 11:59 बजे तक किए जा सकेंगे। आवेदनों में त्रुटि सुधार के लिए एक से दो जुलाई की रात 11:59 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। सीईटी-2025 ग्रुप सी उत्तीर्ण करने वाले ही आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं देना है।जेल विभाग में सहायक अधीक्षक जेल (पुरुष) के 30 पद और महिलाओं के तीन पदों के लिए भर्ती होगी। इन पदों पर आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम स्नातक और 21 से 27 वर्ष आयु सीमा तय की है। सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए ऊंचाई 170 सेंटीमीटर और आरक्षित श्रेणी के लिए वही ऊंचाई 168 सेंटीमीटर तय की गई है। ब्यूरो

बहादुरगढ़-आसौदा मेट्रो कॉरिडोर का आकलन पूरा

चंडीगढ़। हरियाणा में मेट्रो से जुड़ी परियोजनाओं का विस्तार होगा। हरियाणा में एकीकृत मेट्रो और नमो भारत परिवहन नेटवर्क विकसित करने के लिए काम जारी है। बहादुरगढ़-आसौदा मेट्रो कारिडोर के लिए अंतिम यात्री मांग आकलन (राइडरशिप असेसमेंट) पूरा हो चुका है। अब मेट्रो के विस्तार की राह खुलेगी। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एचएमआरटीसी) की चंडीगढ़ में हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-56 गुरुग्राम से पंचगांव तक प्रस्तावित करीब 35.2 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर में 28 स्टेशन प्रस्तावित हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर मुख्यमंत्री की स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी। ब्यूरो

एनएचएम के संविदा कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दे सरकार : हाई कोर्ट

संविदा कर्मियों को वेतन आयोग का लाभ न देने को उच्च न्यायालय ने माना भेदभाव

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने आदेश दिया है कि इन कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता। हाई कोर्ट ने इसे भेदभावपूर्ण माना है, क्योंकि राज्य सरकार पहले ही अन्य कर्मचारियों को यह लाभ दे चुकी है।

अदालत से

जस्टिस संदीप मौदगिल की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार एनएचएम कर्मचारियों को लाभ से वंचित नहीं कर सकती। इसके लिए कोई ठोस और तार्किक आधार नहीं है। अदालत ने माना कि इन कर्मचारियों की सेवाएं स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे लंबे समय से नियमित प्रकृति का कार्य कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सरकार ने पहले भी वेतन आयोगों का लाभ एनएचएम कर्मचारियों को दिया था। वर्ष 2017 में भी सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन वृद्धि की घोषणा हुई थी। हालांकि, कई कर्मचारियों को इसका पूर्ण लाभ नहीं मिला था। समान कार्य के लिए अलग-अलग लाभ देना संविधान के समानता सिद्धांत के विपरीत है।

मामला 1

संविदा कर्मचारियों के अधिकार : हाई कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार ने सुव्यवस्थित वेतन ढांचा अपनाया है तो बाद में मनमाने ढंग से लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी माना कि एनएचएम कर्मचारियों की भूमिका अस्थायी नहीं है। यह स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के लिए आवश्यक और निरंतर प्रकृति की है। हाल ही में, हाई कोर्ट ने 10 वर्ष से अधिक सेवा दे चुके एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण का भी आदेश दिया था। तब अदालत ने कहा था कि उच्च सरकार लंबे समय तक संविदा व्यवस्था के नाम पर नियमित कार्य नहीं ले सकती।

हाई कोर्ट का आदेश, एनएचएम कर्मियों को मिलेंगे अनुभव अंक

चंडीगढ़। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने बहुद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारियों (पुरुष) भर्ती के अभ्यर्थियों को राहत दी है। अदालत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत काम कर चुके अभ्यर्थियों के अनुभव अंक जोड़कर मेरिट सूची दोबारा बनाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि केवल पदनाम अलग होने के आधार पर अनुभव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

मामला 2

एमपीएचडब्ल्यू भर्ती की मेरिट सूची दोबारा बनाने का आदेश

जस्टिस संदीप मौदगिल ने 2015 की भर्ती याचिकाओं का निपटारा किया। उन्होंने अधिकारियों को दो महीने में अनुभव अंक जोड़कर मेरिट दोबारा तय करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने एनएचएम में सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर (एसटीएस) और पैरा मेडिकल वर्कर (पीएमडब्ल्यू) जैसे पदों पर काम किया था।

उनका दावा था कि अनुभव अंक जोड़ने पर वे चयन सूची में आ सकते थे। राज्य सरकार ने समान पद पर अनुभव की दलील दी जिसे हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। अदालत ने बताया कि इसी भर्ती में कुछ अन्य उम्मीदवारों को एसटीएस अनुभव के आधार पर अंक दिए गए थे। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्टों में एसटीएस, पीएमडब्ल्यू और एमपीएचडब्ल्यू (पुरुष) के कार्य समान माने गए थे। ब्यूरो

अदालत का तर्क और आदेश

हाईकोर्ट ने इसे अनुचित और भेदभावपूर्ण बताया। अदालत ने कहा कि विभाग स्वयं कार्यों और जिम्मेदारियों में समानता स्वीकार कर चुका है। ऐसे में केवल पदनाम के आधार पर अनुभव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने अनुभव अंक नहीं देने की सीमा तक परिणाम रद्द कर दिया। पात्र पाए जाने पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति सहित सभी लाभ देने का आदेश दिया गया है।

छेड़छाड़ के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

चंडीगढ़। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने करनाल के निसंग क्षेत्र में युवती से छेड़छाड़ और पीछा करने के मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने पाया कि आरोपी ने एफआईआर के अंग्रेजी अनुवाद में एक महत्वपूर्ण आरोप को छिपाकर अदालत के सामने अधूरी तस्वीर पेश की थी। जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा कि अदालत से राहत मांगने वाले व्यक्ति का दायित्व है कि वह सभी तथ्यों को ईमानदारी से प्रस्तुत करे। महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने वाला व्यक्ति अग्रिम जमानत जैसी राहत का अधिकारी नहीं हो सकता। 21 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया था कि 12 मई को मंदिर जाते समय आरोपी ने उसका पीछा किया। उसने युवती की चप्पल पर पैर रखा, कंधे और निजी अंगों को छुआ। विरोध करने पर आरोपी ने अभद्र व्यवहार भी किया। ब्यूरो

मामला 3

ट्रेन बम धमाके के पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा

चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में रेलवे की अपील खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यात्री ट्रेन में हुआ बम विस्फोट रेलवे की लापरवाही है। जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को मुआवजा देने की जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होगी। हाई कोर्ट ने करीब 34 वर्ष पुराने जंता एक्सप्रेस बम विस्फोट मामले में केंद्र सरकार की अपीलों को खारिज किया। मृत यात्रियों के परिजनों को मुआवजा देने के रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा गया। ब्यूरो

मामला 4

पंचायत विभाग को आंतरिक जांच के निर्देश

चंडीगढ़। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक व एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले की सीबीआई जांच के बीच में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव आईएएस दुष्यंत कुमार (डीके) बेहरा ने विकास व पंचायत विभाग के महानिदेशक अनीश यादव को पत्र लिख आंतरिक जांच की मांग की है।

बैंक घोटाला : विभाग के सचिव ने महानिदेशक को पत्र लिखा

पत्र में बेहरा ने पंचायती राज शाखा के अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मामला पहले से ही सीबीआई जांच के दायरे में है। आईएएस दुष्यंत कुमार (डीके) बेहरा ने कहा कि एमजीजीबीवाई 2.0 योजना के तहत एक्सिस बैंक, आईडीएफसी बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में खाते खोले गए थे, लेकिन दस्तावेजों की समीक्षा में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। केवल एक्सिस बैंक के खातों में सही जानकारी जैसे नाम और आधिकारिक मोबाइल नंबर दर्ज थे। आईडीएफसी और एयू स्मॉल बैंक के खातों में गलत जानकारी दर्ज होने की बात सामने आई है। उन्होंने पूछा है कि यह गलती कैसे हुई और इसकी जिम्मेदारी किसकी है।

पत्र में कुल 10 प्रमुख सवाल उठाए हैं। इनमें पूछा कि तीनों बैंकों में खाते खुले तो सिर्फ एक्सिस बैंक के दस्तावेज ही सत्यापित क्यों हुए, बाकी बैंकों के दस्तावेज विभागीय रिकॉर्ड में क्यों नहीं रखे और बिना उचित जांच के करोड़ों रुपये ट्रांसफर करने की अनुमति कैसे दी गई। उन्होंने यह भी सवाल किया कि ई-मेल या अन्य माध्यम से बैंक सत्यापन क्यों नहीं किया गया, शाखा की जानकारी फाइलों में क्यों छिपाई गई, और चेकबुक प्रक्रिया में लापरवाही क्यों बरती गई। बेहरा ने कहा कि बिना पूरी प्रक्रिया और दस्तावेजों की जांच के 75 करोड़ रुपये का ट्रांसफर जल्दबाजी में किया गया, जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाकर पूरे मामले की विस्तृत जांच की मांग की है ताकि सभी जिम्मेदारियों की स्पष्टता सामने आ सके। ब्यूरो

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
शाखा कार्यालय : एसएएम शाखा, एससीओ 58-59, तीसरी मंजिल बैंक स्क्वायर, सेक्टर-17 बी, चंडीगढ़-160017
Mob: 9982768600; E-mail ID: samvbchanzo@centralbank.bank.in

ई-नीलामी बिक्री सूचना

परिशिष्ट-IV-ए, [नियम 8(6) के प्रावधान को देखें]
अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान सहित पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रवर्तन के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

सर्वसाधारण एवं संबंधित ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर (ओं) को एतद्द्वारा सूचना दी जा रही है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (प्रत्याभूति ऋणदाता) के पास रहन/प्रभारित अधोनिर्दिष्ट अचल संपत्ति/संपत्तियां जिसका सांकेतिक कब्जा जोकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (प्रत्याभूति ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, इसकी बिक्री ''जैसे है जहां है'', ''जैसे है जो है'' एवं ''जो भी है वहां है आधार'' पर निम्न निर्दिष्ट ऋणकर्ताओं व गारंटरों से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (प्रत्याभूति ऋणदाता)की देय राशि की वसूली के लिए 13.07.2026 को अप.02.00 से अप. 4.00 बजे के मध्य की जाएंगी। आरक्षित मूल्य व धरोहर राशि जमा (ईएमडी) की जानकारी संबंधित संपत्तियों के प्रति प्रदर्शित है।

शाखा-तनावग्रस्त परिसंपत्तियां प्रबंधन (एसएएम) शाखा, चंडीगढ़, मोबाईल : 9982768600,
E-mail ID: samvbchanzo@centralbank.co.in

ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) एवं शाखा का नाम व पता	संपत्ति/प्रत्याभूत परिसंपत्ति का विवरण एवं संपत्तियों का मालिक	मांग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि	आरक्षित कीमत ईएमडी राशि
		कब्जा सूचना की तिथि	बोली वृद्धि राशि
(1) ऋणकर्ता: मैसर्स शांति एग्रो फूड्स प्रा. लि. निदेशक : (1) श्री साहिल वर्मा; (2) श्री विशम्बर लाल पोल्ट्री फार्म, कार्यालय पोल्ट्री एरिया, नीलोखेड़ी जिला करनाल	लॉट सं.-1 श्री साहिल वर्मा के नाम में पशु अस्पताल रोड समीप साहिल पोल्ट्री फारम, नीलोखेड़ी में स्थित गोदाम। बिक्री विलेख सं. - 1064 दिनांक 21-11-1996 द्वारा श्रीमती सत्या रानी पत्नी श्री विशम्बर लाल के नाम में पशु अस्पताल रोड, समीप साहिल पोल्ट्री फारम नीलोखेड़ी, जिला करनाल में स्थित वर्ष 1989-90 हेतु जमाबंदी के अनुसार खेवट सं.-25, खतौनी-30, खसरा सं. 58 में शामिल 1 कनाल 10 मरला (907.50 वर्ग गज) माप की भूमि पर बना गोदाम। सीमाएं : उत्तर - सड़क, दक्षिण-मालिक की संपत्ति, पूर्व-मालिक की संपत्ति, पश्चिम -दीप चंद की फैक्ट्री	23-11-2020 Rs. 41,89,35,078 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	Rs. 77,18,000/-
			Rs. 7,71,800/-
		09.06.2022 व 28.02.2025 (सांकेतिक)	Rs. 1,00,000/-

गारंटर :-(1)श्री विशम्बर लाल वर्मा पुत्र श्री हंस राज वर्मा; (2) श्री साहिल वर्मा पुत्र श्री विशम्बर लाल वर्मा; (3) श्रीमती सत्या रानी पत्नी श्री विशम्बर लाल वर्मा

ई-नीलामी की तिथि 13.07.2026 को अप. 02:00 बजे से अप. 04:00 बजे के बीच 10 मिनट के ऑटो एक्सटेंशन के साथ वॉलेट में ईएमडी जमा 06.07.2026 (अप. 02:00 बजे से अप. 04.00 बजे)

संपत्तियों के निरीक्षण की तिथि: 25.06.2026 को दोपहर 12:00 बजे से अप. 03:00 बजे के बीच।

इच्छुक बोलीदाता वेबसाइट https://baanknet.com पर पंजीकरण करेंगे और अपने केवाईसी दस्तावेज अपलोड करेंगे और सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, ईएमडी राशि ईएमडी वॉलेट में जमा की जाएगी। धरोहर/बोलीदाता को अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके बैकेंड पोर्टल में लॉगिन करना होगा।

उपरोक्त संपत्ति पर भार का विवरण, जैसा कि बैंक को ज्ञात है -
* गोडाउन की जमीन का सीमांकन का प्रकरण है।
* यहां लगभग 700.00 लाख रू. का राज्य सरकार का शुल्क है।
* केन्द्रीय सरकार का शुल्क भी बकाया है एवं ई-नीलामी ''जैसे है जहां है'' के आधार पर करायी जा रही है।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूति लेनदार) की वेबसाइट देखें, यानी https://www.centralbankofindia.co.in या विक्रेता वेब पोर्टल https://baanknet.com

दिनांक: 23.06.2026 स्थान: चंडीगढ़ अधिकृत अधिकारी

चानौत में हालात बेकाबू, पुलिस ने आंसू गैस के गोल छोड़ ग्रामीणों को खदेड़ा, टी कनेक्शन उखाड़ा

गांव में किए जा रहे टी कनेक्शन उखाड़ने की सूचना पर धरने पर जुटी थी भीड़, लोगों ने किया पथराव

संवाद न्यूज एजेंसी

हांसी। पानी के लिए चानौत गांव में पिछले 38 दिनों से चल रहे धरने पर सोमवार आधी रात हालात बेकाबू हो गए। करीब डेढ़ बजे भाखड़ा पेयजल लाइन से गांव में किए जा रहे टी कनेक्शन को पुलिस ने उखाड़ दिया। इस दौरान ग्रामीणों को खदेड़ने के लिए पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़ने पर अफरातफरी मच गई।

कुछ लोगों ने पुलिस अमले पर पथराव किया। साथ ही गैस के प्रभाव में आने से डीसी राहुल नरवाल की तबीयत बिगड़ गई। अधिकारियों ने उन्हें किसी तरह संभाला। खबर लिखे जाने तक अधिकारी और ग्रामीणों में हालात बेहद तनावपूर्ण थे। सुबह से शाम तक धरने पर माहौल सामान्य था। एक दिन पहले अनशन समाप्त होने के बाद धरने पर 50 के करीब लोग बैठे हुए थे।

करीब 10 बजे धरना कमेटी के सदस्यों को सूचना मिली कि रात में पुलिस किसी भी वक्त गांव पहुंच सकती है और टी कनेक्शन को उखाड़ने की उनकी योजना है। इसके बाद कमेटी के सदस्यों ने ग्रामीणों को सूचित किया। करीब 11 बजे तक काफी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और युवा धरने पर जुट गए। हालांकि कमेटी सदस्य उन्हें समझा रहे थे कि पुलिस को आने दीजिए। अधिकारियों ने हमें टकराव नहीं करना

धरना कमेटी के सदस्य अनूप चानौत व पूर्व सरपंच सत्यवान ने कहा कि हम पुलिस का इंतजार कर रहे हैं और नहीं चाहते कि किसी भी तरह का टकराव हो। ग्रामीणों को भी संयम बनाए रखने का कहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस को टी कनेक्शन नहीं हटाने देंगे। इसके लिए पूरा गांव गिरफ्तारी देने को तैयार है।

से बातचीत करेंगे। किसी भी तरह का टकराव नहीं करना है। रात करीब 12.45 बजे तक ग्रामीण गांव में पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के आने का इंतजार कर रहे थे।

रात करीब एक बजे पूरा अमला गांव के लिए रवाना हो गया और वहां पहुंचकर टी कनेक्शन स्थल पर पहुंच गए।

सुबह से बनाते रहे रणनीति

गांव में अवैध तौर से किए जा रहे टी कनेक्शन को उखाड़ने के लिए पुलिस व प्रशासन के अधिकारी सुबह से ही रणनीति बनाते रहे। इसके लिए रेस्ट हाउस में अमला जुटा रहा। हांसी एसपी और डीसी राहुल नरवाल सहित प्रशासन के अधिकारी रात 12 बजे चानौत के लिए रवाना हुए। चानौत से पहले भाटला चौक पर पुलिस का अमला बुला लिया गया। अधिकारियों के पहुंचने पर पुलिस बल उनके साथ बरवाला रोड पर पहुंच गया। मौके पर जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जेसीबी और क्रेन लेकर पहुंचे थे। इस दौरान डीएसपी ने धरना कमेटी के सदस्यों से फोन पर भी बातचीत की और साफ कहा कि आप ग्रामीणों को गुमराह कर रहे हैं। इन्हें किसी तरह का नुकसान न हो यह आपकी जिम्मेदारी है।

हत्या के दो मामलों में उम्रकैद भुगत रहा पैरोल जंपर पुलिस मुठभेड़ में ढेर

गन्नौर (सोनीपत)। गांव खुबड़-नदीपुर माजरा रोड पर सोमवार सुबह साढ़े पांच बजे सोनीपत और गन्नौर सीआईए की संयुक्त टीम से हुई मुठभेड़ में गैंगस्टर गोपाल की मौत हो गई।

गांव अटायल निवासी गोपाल हत्या के दो मामलों में उम्रकैद की सजा भुगत रहा था। इसी साल मार्च में वह 70 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आया था लेकिन 30 मई को वापस आत्मसमर्पण करने के बजाय पैरोल जंप कर भाग गया। सोमवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि गोपाल किसी ग्रामीण की हत्या की योजना के तहत क्षेत्र में घूम रहा है। इसके बाद सीआईए-1 और सीआईए गन्नौर ने संयुक्त अभियान चलाकर इलाके में नाकाबंदी कर दी। खुबड़-नदीपुर माजरा रोड पर बाइक पर जा रहे गोपाल को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वह बाइक से भागने लगा और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। संवाद

वेतन आयोग से 40 हजार न्यूनतम वेतन मांगा

चंडीगढ़। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष अपना विस्तृत मांग-पत्र प्रस्तुत किया है। महासंघ ने देशभर के लगभग 60 लाख राज्य सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मियों की वेतन, सेवा शर्तों से जुड़ी प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें प्रमुख डी के लिए 40 हजार न्यूनतम वेतन की मांग की गई है। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें अधिकांश राज्यों में वेतन पुनरीक्षण का आधार बनती हैं।

वेतन पुनरीक्षण की वर्तमान दस वर्षीय व्यवस्था समाप्त कर प्रत्येक पांच वर्ष में पुनरीक्षण लागू हो। न्यूनतम व अधिकतम वेतन के बीच अनुपात को 1:14 के स्थान पर 1:10 रखने का सुझाव दिया। ब्यूरो

HDFC BANK
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
शाखा कार्यालय : एचडीएफसी बैंक, एससीओ 153-155, सैक्टर-8, मध्यमार्ग, चंडीगढ़
TEL.: 0172-6480799, CIN L65920MH1994PLC080618 WEBSITE: www.hdfcbank.com

मांग सूचना

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (एक्ट) का प्रवर्तन।
चूंकि प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण और प्रवर्तन के तहत तथा प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (पूर्व में एचडीएफसी लिमिटेड मानवीय एनसीएलटी मुंबई द्वारा आदेश दिनांक 17 मार्च, 2023 द्वारा स्वीकृत सम्मिलन की योजना के आधार पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड द्वारा सम्मिलित(एमलगमेट) किया गया) एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचनाएं जारी की थी, जिसमें निम्न सूचित ऋणकर्ता(ओं)/कानूनी वारि(सों)/कानूनी प्रतिनिधि(यों) को नीचे दी गई जानकारी के अनुसार संबंधित सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर संबंधित मांग सूचना में निर्दिष्ट राशियों का वापिस भुगतान करने के लिए कहा गया था। अतः अधोहस्ताक्षरी ने इन सूचनाओं को उक्त ऋणकर्ता(ओं)/कानूनी वारि(सों)/कानूनी प्रतिनिधि(यों) के अंतिम ज्ञात संबंधित पतों के परिसरों में चिपकाया (पेस्ट) करवाया है। उक्त सूचनाओं की प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और कथित ऋणकर्ता(ओं)/कानूनी वारि(सों)/कानूनी प्रतिनिधि(यों) संबंधित कॉपी को, यदि वे चाहते हैं, किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकते हैं।
उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा एक बार फिर से उक्त ऋणकर्ता(ओं)/कानूनी वारि(सों)/कानूनी प्रतिनिधि(यों) को सूचना दी जाती है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर उनके संबंधित नामों के समक्ष उल्लिखित राशियों को संबंधित (सी) में निम्न निर्दिष्ट संबंधित तिथियों से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक उक्त मांग सूचनाओं में वर्णित अग्रिम ब्याज @18% पी. ए. के साथ इकट्ठे ऋण एकरारनामे/और अन्य दस्तावेजों/लेखपत्रों के साथ पठित यदि कोई उक्त ऋणकर्ता द्वारा कार्यान्वित किये गये है, उक्त राशि का भुगतान एचडीएफसी को कर दें। चूंकि कथित ऋण के बकाया राशि के वापिस भुगतान के लिए सिक्योरिटी के तौर पर, निम्न प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को क्रमशः उक्त ऋणकर्ताओं द्वारा एचडीएफसी के पास रेहन रखा गया है।
ऋणकर्ता(ओं)/कानूनी वारि(सों)/कानूनी प्रतिनिधि(यों)हेतु प्रतिभूति आस्तियों के छुड़ाने हेतु उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों हेतु ध्यानार्थ आमंत्रित हैं।

क्रम सं.	ऋणकर्ता (ओं)/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों का नाम	कुल बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि	प्रत्याभूत परिसंपत्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का ब्यौरा
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)
1.	श्रीमती गुणवती पत्नी श्री सुरेन्दर पाल सिवाच (ऋणकर्ता) एवं श्री सुरेन्दर पाल सिवाच पुत्र श्री चंदर सिंह (सह-ऋणकर्ता) दोनों निवासी मकान 649, वार्ड सं. 16, कलोनी चोपड़ा गोहाना, जिला सोनीपत-131301	Rs. 6,41,693/- 31/05/2026' को देय	16-06-2026	बिक्री विलेख सं. 884 दिनांक 04.06.2008 द्वारा गुणवत्ती पत्नी सुरेन्दर पाल द्वारा स्वामित्व में गोहाना की एमसी सीमाओं के अंदर जिला सोनीपत में वार्ड सं. 13 में स्थित किल्ला सं. 287//16 में शामिल उस पर दोनों वर्तमान एवं भावी निर्माण के साथ 245.33 वर्ग गज या कहें 205.12 वर्ग मीटर माप की आवासीय संपत्ति। संपत्ति की सीमाएं निम्न अनुसार हैं : पूर्व : अन्य का प्लॉट, साईड 46', पश्चिम : रास्ता, साईड 46', उत्तर : मकान , साईड 40', दक्षिण : रास्ता , साईड 40
2.	मेजर अभिषेक राठी पुत्र श्री आनंद सिंह (ऋणकर्ता) एवं श्रीमती शिवानी राठी पत्नी श्री अभिषेक राठी (सह-ऋणकर्ता) दोनों निवासी 196/1, एमएपी (मैप) कलोनी चंडीमंदिर कैंट, पंचकुला-हरियाणा-134101-भारत	Rs.50,07,252/- 31/05/2026' को देय	16-06-2026	एसजीएन-0116 दिनांक 26.04.2018 धारक आवंटन पत्र द्वारा श्रीमति राठी पुत्र श्री आनंद सिंह राठी द्वारा स्वामित्व में सुपमा ग्रैंड नेकस्ट, गांव गाजीपुर जीरकपुर, जिला एसएएस नगर, मोहाली में स्थित संलिप्त भूमि में अविभाजित समानुपातिक भाग के साथ 1650 वर्ग फुट या कहें 153.29 वर्ग मीटर माप का 8वें तल पर टावर-बी में इकाई सं. -बी 801
3.	श्री चांदी राम पुत्र श्री पाला राम (ऋणकर्ता) और श्रीमती रीना कुमारी, पत्नी श्री चांदी राम (सह-ऋणकर्ता), दोनों निवासी मकान नंबर 1006, सेक्टर 19, तालुका ग्राउंड जिला पंचकूला- 134109	Rs.14,72,849/- 31/05/2026' को देय	16-06-2026	सेल डीड सं. 2180 दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्रीमती रीना कुमारी पत्नी श्री चंदी राम द्वारा स्वामित्व हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी सैक्टर 19 पंचकुला पर स्थित रिहायशी एलआईजी मकान नं. 1006, भूतल माप 22.22 वर्ग मीटर (प्लॉट क्षेत्र) एवं कवर्ड एरिया 131 वर्ग फीट।
4.	श्री दिलीप कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री राधे श्याम (ऋणकर्ता), निवासी फ्लैट-ईडब्ल्यूएस 3-ब्लॉक-ए-17, पहली मंजिल, हिमुडा एसडीए कॉलोनी, हाउसिंग कॉलोनी, विकास नगर, शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001	Rs.11,84,343/- 31/05/2026' को देय	16-06-2026	सेल डीड सं. 261/2025 दिनांक 31.01.2025 द्वारा श्री दिलीप कुमार गुप्ता सुपुत्र स्व. श्री राधे श्याम द्वारा स्वामित्व हाऊसिंग कॉलोनी मोहल, विकास नगर, शिमला (ग्रामीण) हिमाचल प्रदेश पर स्थित खाता/खतौनी नं. 630/196 एवं एमप1097, किता 106 कुल माप 15544.89 वर्ग मीटर में सम्मिलित भवन जो बतौर ''ब्लॉक नं. ए-17'' हाऊसिंग कॉलोनी विकास नगर, शिमला, हि.प्र. के नाम में जाना जाता है एवं कथित ब्लॉक भूमि के एक भाग पर बना हुआ है के तहत भूमि में अविभाजित समानुपात हिस्सा सहित रिहायशी ईडब्ल्यूएस फ्लैट नं. 3 एवं माप 18.14 वर्ग मीटर।

* लागू अनुसार भावी ब्याज, वहन किये जाने वाले आकस्मिक खर्चों, लागत, प्रभार इत्यादि सहित, भुगतान की तिथि और/या वसूली की तिथि तक।
यदि कथित ऋणकर्ता पूर्वोक्त दानुसार एचडीएफसी को भुगतान करने में असफल रहते हैं, तो एचडीएफसी प्रत्याभूत परिसंपत्तियों/ अचल संपत्तियों को उक्त ऋणकर्ता(ओं)/कानूनी वारि(सों)/कानूनी प्रतिनिधि(यों) के जोखिम पर तथा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तथा पूर्णतः लागू नियमों के तहत लागत व उसके परिणामस्वरूप रा